

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

तैलिक साहू समाज धर्मशाला जरिये अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल पिता मांगीलाल साहू
बनाम

लालूराम पिता शंकरलाल भील निवासी आसावरा, तहसील भदेसर वगैरा
कार्यवाही:—अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण संख्या 110/2021 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.02.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में दिनांक 08.02.2024 को बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत आसावरा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 17254 दिनांक 05.07.2018 न्याय नियम एवं अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी किया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत आसावरा द्वारा समस्त तैली समाज की सराय के लिए दो पट्टे जारी किये प्रथम पट्टा दिनांक 03.01.72 एवं द्वितीय पट्टा दिनांक 11.10.80 को जारी किया उक्त दोनों भूखण्डों को मिलाकर धर्मशाला का निर्माण कराया। उक्त धर्मशाला के पास सोनी समाज की धर्मशाला भी होकर दोनों धर्मशालाओं में धार्मिक कार्य होते हैं धर्मशाला के पीछे खुली चौक की सरकारी जमीन जहां वाहन खडे होते हैं तथा यह परम्परा 40-50 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है निगराकार की धर्मशाला का एक दरवाजा दक्षिण की ओर चौक में खुलता है तथा खिड़की, रोशनदान, छज्जे, नालदे आदि का हक-हकूक करीब 50 वर्षों से रोशनी हेतु रखे हैं। उक्त सरकारी चौक की भूमि का अधीनस्थ ग्राम पंचायत को आपसी बातचीत के आधार पर पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है फिर भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.07.2018 को गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में उक्त सरकारी चौक की भूमि का पट्टा आपसी बातचीत के आधार पर जारी कर दिया। पट्टा जारी करने से पूर्व 165 से 170 तक में वर्णित नियमों की कोई पालना नहीं की गई। आम सूचना का प्रकाशन नहीं कराया जिससे आपत्ति पेश करने का मौका नहीं मिला। गुपचुप तरीके से सारी कार्यवाही करते हुए नियमों के विपरीत पट्टा जारी किया जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर पट्टा निरस्त फरमावें।</p> <p>अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 व 2 का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम पंचायत आसावरा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को उसके पुराने कब्जे के आधार पर सशुल्क डी एल सी दर पर नियमों की पालना करते हुए पट्टा जारी किया है। जबकि तैली साहू समाज की धर्मशाला को प्रथम पट्टा दिनांक 03.01.1972 तथा दूसरा पट्टा दिनांक 11.10.1980 को जारी किया उक्त दोनों</p>	



.....लगातार

भूखण्डों को तेली समाज द्वारा एक करके इसका दुरुपयोग किया जा रहा है धर्मशाला का सामाजिक उपयोग नहीं करके अवैध तरीके से व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है धर्मशाला की दक्षिण दिशा में जो खिड़की रोशनदान, छज्जे व नालियां निकाल रखी है वह धर्मशाला के पट्टेशुदा भू-भाग में नहीं होकर अन्य भूमि में है। इसलिए तैलिक साहू समाज धर्मशाला के पट्टे निरस्त योग्य है। गैर निगराकार संख्या 1 का बाप-दादाओं से कब्जा चला आ रहा है जिसके आधार पर उसे पट्टा जारी किया गया है तथा गैर निगराकार संख्या 1 ने उक्त पट्टा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से गैर निगराकार संख्या 2 को विक्रय किया जिस पर गैर निगराकार संख्या 2 का कब्जा होकर उपयोग-उपभोग किया जा रहा है। उक्त पट्टे का 1/2 हिस्सा गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्ट्री दिनांक 02.11.2018 को रेखा देवी मोची के हक में पंजीयन करा दिया तथा रेखा देवी मोची ने पुनः अपना 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्ट्री गैर निगराकार संख्या 2 को विक्रय कर दिया। इस प्रकार पट्टे वाले सम्पूर्ण भूखण्ड का गैर निगराकार संख्या 2 विधिवत् मालिक होकर निर्माण कराया जा रहा है तथा इसी पट्टे संबंधी वाद उभय पक्षों के मध्य सिविल न्यायालय मण्डफिया में विचाराधीन होकर स्थगन आदेश पारित कर रखा है। अतः निगरानी खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार निगराकार ने, गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में अधीनस्थ ग्राम पंचायत आसावरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 17254 दिनांक 05.07.2018 के विरुद्ध निगरानी पेश की है तथा इसी पट्टे से संबंधित एक अन्य निगरानी पंचायत समिति, भदोसर जरिये विकास अधिकारी ने भी गैर निगराकार संख्या 1 के विरुद्ध पेश की जिसके प्रकरण संख्या 130/2021 (नि.पं.) हैं। अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 व 2 के द्वारा पत्रावली में पेश किए गए दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है कि उभय पक्ष के मध्य उक्त विवाद-विषय/पट्टे से संबंधित वाद जिसके प्रकरण संख्या, मु0 दी0 संख्या 12/2022 कविता बनाम तैलिक साहू समाज होकर न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़ में विचाराधीन होकर "माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है तथा उक्त प्रकरण विचाराधीन होने के संबंध में अधिवक्ता निगराकार ने भी सहमति प्रकट की है।"

चूंकि इसी विवाद-विषय/पट्टे से संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़ में भी विचाराधीन होने से, उक्त निगरानी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 10 के तहत स्थगित की जाती है।

